न्यायालय राजस्व मण्डल-ग्वालियर कैम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0क्र0 A·1725-III/03 गौरीशंकर पिता गोरधनलाल जी चौरसीया, जाति चौरसीया, आयु -45 वर्ष, धंधा-व्यापार, निवासी हुसैनी चौक [illegible] ---अपीलांट,

बनाम

म0प्र0शासन --रिस्पाडैंट,

अपील अंतर्गत-44(2) म0प्र0भू0रा0सं0 विरुद्ध आदेश माननीय संभाग आयुक्त महोदय, संभाग उज्जैन म0प्र0 क्रमांक-200/02-03 अपील दिनांक 10-11-03 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर श्री ए0के0मादलिया, क्रमांक-1-अ-67/01-02 दिनांक 7.4.03 से असन्तुष्ट होकर यह द्वितीयअपील अवधी में प्रस्तुतहै.

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओरसे अपील निम्नानुसार पेश है:-

संक्षिप्त विवरण

1- यहकि अप्राधिकृत खनीज निरीक्षक श्री देवीलाल सोलंकीया द्वाराअपीलांट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय मे इस आशय का प्रतिवेदनप्रस्तुत किया कि अपीलांट द्वाराउसकेनिजी भूमि सर्वे-102 में अवैध मुरम एवं बोल्डर विगत डेढवर्षो से उत्खनन किया जाकर उसके द्वारा 700 ट्राली मुरम एवं 300 ट्राली बोल्डर, उत्खनीज किये है। इसआशय का दिनांक 27.8.01 को पंचनामा बनाया गयाहै, तथा उपरोक्त उत्खनन के संबंध में न तोअनुमति प्राप्त की है और न ही रायल्टी चुकाईहै। तथा उत्खनीज की जा रहीभूमि श्रीमती सुमित्रादेवी के नाम भूमि स्वामीस्वत्व पर दर्ज होनाबताकर उक्त प्रतिवेदन अनुसारधारा-247(7) म0प्र0भू0रा0सं0के अंतर्गत अपीलांट के विरुद्ध वैधानीक कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय, शाजापुर कोनिवेदन किया।

यहकि उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय, शाजापुर द्वारा अनावेदक को दिनांक 17.9.01 के लिये उपस्थिति हेतु सुचना पत्र जारी किया जिसका उत्तर अनावेदक द्वारा अपने अधिवक्ताके माध्यम से विधीवत कलेक्टर महोदय, शाजापुर के न्यायालयमे प्रस्तुत कियातथाउत्तर मे यह बताया कि उसके द्वारा न तो कोई अवैध उत्खनन कियाहै। और न ही कोई वस्तु भूमि के अंदर से उत्खनीत कर उसे न तो वहां से हटाई है और न विक्रयकियाहै बल्कि उपरोक्त भूमि आगरा बाम्बे रोड के लगी हुई है, तथाउक्त खाबड पहाडी व बर्ल्डी टाईप कीभूमि होने से उसे आगरा रोड तक समतल करने हेतु खोदा गया [illegible] से निकले हुये मुरम, बोल्डर को

207

130

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1725/तीन/03

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 30/08/2016 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	